

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 285] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28, 1984/श्रावण 6, 1906
No. 285] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28, 1984/SRAVANA 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पक्ष पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1984

सा. धा. नि. 540(श).—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्याम अधिनियम, 1963
(1963 का 38) की धारा 4, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
न्याया सेवा पत्तन न्याम के पहले न्यासी मंडल में निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यामी
नियुक्त करती है :

1. महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव, नौवहन और परि-
वहन मंत्रालय (सड़क पक्ष)

तथा उस प्रयोजन के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परतन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 437(अ) दिनांक 31 मई, 1982 को निम्न प्रकार संशोधित करती है, अर्थात् :—

“12. महानिदेशक (सड़क विकास) और
अपर सचिव,
नौवहन और परिवहन मंत्रालय,
(सड़क पक्ष) न्यासी”

[सं. पी. डब्ल्यू./पी.टी.वी. 13/82]

पी. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 1984

G.S.R. 540(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1938), the Central Government hereby appoints the following person as a Trustee of the first Board of Trustees for the Nhava Sheva Port Trust :—

1. The Director General (Roads Development)
and Additional Secretary,
Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing).

and for that purpose amends the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) Notification No. G.S.R. 437(E), dated the 31st May, 1982, as follows, namely :—

In the said notification, after entry 11, the following entry shall be added, namely :—

- “12. The Director General
(Roads Development)
and Additional Secretary,
Ministry of Shipping and Transport
(Roads Wing). Trustee”

[F. No. PW/PTB-13/82]

P.V. RAO, Jt. Secy.